प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी
प्रयागराज।

पत्रांक: मु0चि0अ0 / एन0टी0सी0पी0 / 2020-21 / 1993 दिनांक: 03-07-2020

विषयः कोविड-19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांकः राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020-21 / 8461 लखनऊ दिनांक 23.06.2020, पत्र संख्याः राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020-21 / 8388 दिनांक 11.05.2020, पत्र संख्याः राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019-20 / 8375 दिनांक 13.04.2020 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 786 / तीन-18-06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

आपको अवगत कराना है कि धूम्रपान, मसाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा थूकने को प्रेरित करते हैं, जिससे कोविड-19 संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269 में निर्धारित किया गया है कि-जो व्यक्ति अवैध तरीके से या शासन के आदेशों की उपेक्षापूर्वक कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे उसके अथवा जिसे वह जानता अथवा पहचानता हो, उसके जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, उसे छः माह के लिए कारावास की सजा हो सकती है या अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 में निर्धारित किया गया है कि–जो कोई भी अवैध तरीके से कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे और जिसे वह जानता है के जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, उसे दो वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है या अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 278 में निर्धारित किया गया है कि–जो कोई भी किसी भी स्थान पर वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करता है जो सामान्य आवास में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या पड़ोस में इसे फैलाता है या सार्वजनिक स्थान पर इसे फैलाता रहता है, उसे 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा हो सकती है।

अतः कोरोना महामारी (कोविड 19 संक्रमण) को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप जनपद के समस्त जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग तथा पान मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

नोडल (एन0सी0डी0 सेल)
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।

पत्रांक: मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/2020-21/1993 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. राज्य नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।

नोडल (एन0सी0डी0 सेल)
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।